Title: Need to involve people""s representatives in the implementation of Centrally sponsored schemes in Chhattisgarh -Laid.

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा 11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य राज्यों को राशियां आबंटित की गयी हैं। उसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिडिल स्कूल, हाई स्कूल भवन एवं ग्राम पंचायत भवन तथा अन्य निर्माण कार्य आदि को सीधे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा रही है, उसे रोका जाए तथा क्षेत्रीय सांसद व विधायकों की अनुशंसा के बाद ही प्रशासकीय स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा की जाए तथा 12वें वित्त आयोग की भी राशि क्षेत्रीय सांसद व विधायकों की अनुशंसा पर ही जिला कलैक्टर को स्वीकृति का अधिकार दिया जाए एवं केन्द्र सरकार से राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर को मिलने वाली राशि जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण विकास योजना, जवाहर योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, राजीव शिक्षा मिशन योजना, जल ग्रहण क्षेत्र योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति विकास योजना एवं अन्य योजनाओं से मिलने वाली राशि को क्षेत्रीय सांसद व विधायक की अनुशंसा के बाद ही जिला पंचायत के अनुमोदन पर जिला कलेक्टर द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाए, जिससे उपरोक्त राशि को राज्य सरकार के द्वारा सीधे स्वीकृति की जा रही है, को रोक लग सके।